

न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं०-78 सन् 2022

तारकेश्वर चौरसिया वगै०वादीगण।

ब ना म

राम नरेश भगत व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक-02.07.2026

उभय पक्ष अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया एवं अवलोकन से विदित होता है कि वादी की ओर से पैरवी नहीं की गई है तथा न ही उनके द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन ही किया जा रहा है। न्यायालय द्वारा अंतिम अवसर दिए जाने के बाद भी फिर अनुपस्थित चले आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में अब कोई अभिरुची नहीं रह गई है। वादी को वाद में साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया गया फिर भी अनुपस्थित चले आ रहे हैं। वादी वाद के निष्पादन में जानबूझकर विलंब कर रहे हैं। वाद में उनकी ओर से कोई पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद में आगे की कार्रवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस बंटवारा वाद को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर सारण।